शोध मंथन Vol. XV No.III July.-Sept. 2024 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Available at: *http:/shodhmanthan.anubooks.com*

अपचारी बालकों के व्यक्तित्व व आपराधिक क्रियाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन

76

प्राप्तिः 20.09.2024
स्वीकृतः 30.09.2024

नमिता वर्मा
शोधार्थिनी,
श्री जय नारायण मिश्र पी.जी. कॉलेज,
लखनऊ

डॉ. मणि जोशी
एसोसिएट प्रोफेसर,
श्री जय नारायण मिश्र पी. जी. कॉलेज,
लखनऊ
ईमेलः *manijoshi9@yahoo.in*

सारांश

हमारे देश में बाल–अपराध की निरंतर बढ़ती घटनाएं एक प्रमुख समस्या के रूप में दिखाई पड़ती है। बाल–अपराध की समस्या मुख्यतः परिवार और समुदाय के विघटन को दर्शती है। वर्तमान समय में बाल अपराध एवं बाल अपराधियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। यह एक चिंता का विषय है, क्योंकि किसी राष्ट्र का भविष्य उसके युवाओं के हाथ में होता है तथा राष्ट्र का उत्थान तन–मन से स्वस्थ युवा ही कर सकते हैं। अपचारी बालक (किशोर) मानसिक रूप से असामान्य और आपराधी भावनाओं से युक्त होता है तथा अपने से अपने आप को छुपाता ही नहीं, अपितु वह सामान्य मार्ग से भटक कर अपराधी क्रियाओं द्वारा अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। इस प्रकार का व्यवहार जब बालक द्वारा होता है, तो उसके इस व्यवहार को 'बाल–अपराध' (Juvenile Delinquency) कहते हैं और इस प्रकार के बालकों को अपचारी बालक कहते हैं। भारत में बाल अपराध को 'किशोर अपराध' के रूप में जाना जाता है। अपचारी बालक सामाजिक रूप से विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। अपचारी बालकों के व्यक्तित्व के लक्षणों को विभिन्न मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रियों ने विभिन्न रूपों में विभाजित किया है। अपचारी बालकों की अपराधिक क्रियाओं एवं व्यवहार को सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों के उल्लंघन के अंतर्गत रखा गया है। अतः प्रस्तुत शोध पत्र में अपचारी बालकों के व्यक्तित्व के लक्षणों व आपराधिक क्रियाओं के बारे में शोधित विचारों को व्यक्त किया गया है।

मुख्य शब्द

अपचारी बालक, व्यक्तित्व, अपराधिक क्रियाएं, बाल उपचार

प्रस्तावना

एक राष्ट्र के समाज, संस्कृतिक संरचना तथा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने व बनाए रखने के लिए एक विशेष विधि–विधान की, एक विशेष 'आचार संहिता' की आवश्यकता होती है। जिसका निरंतर परिपालन करते रहना प्रत्येक संबंधित नागरिक का परम कर्तव्य होता है परंतु जब किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे निर्धारित नियमों का उल्लंघन होता है, तो वह व्यक्ति अपराधी कहलाता है। शाब्दिक रूप से Normal का अर्थ, जो एक मानक (Norm) के अनुकूल व अनुरूप हो। Ab का अर्थ, Away अथवा दूर। इस प्रकार Abnormal शब्द के सम्मिलित रूप (Ab+norm+al) का अर्थ, 'मानक से दूर' अथवा वह जो की मानक से विचलित रहता है उसे Abnormal की संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। अपसामान्य व्यक्तित्व के बालकों या किशोरों में अनुरूपता का अभाव, असुरक्षा की भावना, मूल दुशिचंता, व्यक्तिगत अपरिपक्वता, दोषपूर्ण संवेगात्मकता, वास्तविकता से परे, बौद्धिक असमर्थता, शारीरिक अकुशलता, परस्पर विरोधी इच्छाएं, आत्म तिरस्कार, असंतुलित आत्म मूल्यांकन, अत्यधिक अंतरमुख्ता, मानसिक शक्ति का विसरण, दोशपूर्ण आकांक्षा स्तर, एकीकरण के जीवन का दर्शन का अभाव आदि प्रमुख विशेषताएं होती हैं।

एक 'अपसामान्य' व्यक्तित्व के किशोर (बालक) को 'असंतुलित' व्यक्तित्व, एक 'अपसमायोजित' व्यक्तित्व या फिर एक 'अस्वस्थ' व्यक्तित्व वाला किशोर कहा जाता है। एक अपसामान्य व्यक्तित्व के किशोर को उसके व्यवहार के विशेष लक्षणों अथवा शीलगुणों के आधार पर कुसमायोजित किशोर (बालक) कहा जाता है अर्थात् जब कोई बालक या किशोर – समाज के नियमों, परंपराओं, मर्यादाओं आदि का उल्लंघन करता है, अर्थात् 'समाज विरोधी' व्यवहार करता है, तो उसे 'अपचारी बालक' या 'अपचारी किशोर' कहा जाता है।

सिरिल बर्ट – "तकनीकी दृष्टि से एक बालक को उस समय अपराधी माना जाता है, जब उसकी समाज विरोधी प्रवृत्तियां इतनी गंभीर हो जाए कि उसके विरुद्ध शासन वैधानिक कार्यवाही करें या कार्यवाही करना आवश्यक हो जाए"।

गुड – "जिस किसी बालक का व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उस पर समाज–विरोधी होने का लेबल लग जाए, उसे बाल–अपराधी कहा जाता है"।

हरबर्ट – "बाल अपराधी वह व्यक्ति होगा, जिसका दुव्यवहार अपेक्षाकृत रूप से गंभीर कानून अपराध ा है, जो उसके विकास के स्तर के अनुकूल नहीं है एवं वह व्यवहार उस संस्कृति के अनुकूल नहीं है, जिसमें उसका पालन–पोषण हुआ है"।

मार्टिन न्यूमेयर – "एक बाल अपराधी निर्धारित आयु से कम आयु का वह व्यक्ति है, जो समाज विरोध ी कार्य करने का दोशी है और जिसका दुराचार कानून का उल्लंघन है"।

गिलिन एवं गिलिन – "समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक बाल–अपराधी वह व्यक्ति है, जिसके व्यवहार को समाज अपने लिए हानिकारक समझता है और इसलिए यह उनके द्वारा निशिद्ध होता है"।

हीली – "वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता, वह बाल–अपराधी कहा जाता है"।

बर्ट – "हम उसे बालक को अपराधी समझेंगे, जिसकी समाज विरोधी प्रव्त्तियां इतनी बढ़ जाती हैं कि प्रषासन को उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करनी पड़ती है"।

स्किनर – "किसी कानून के उस उल्लंघन के रूप में बाल–अपराध परिभाषित किया जाता है, जो कि वयस्क द्वारा किए जाने पर अपराध होता है"।

उपयुक्त तथ्यों के आधार पर –वह बालक जो समाज–विरोधी कार्यों में संलिप्त हो, जिसका व्यवहार असामान्य हो, जो बालक माता–पिता की आज्ञा की अवहेलना करें तथा जो माता–पिता के नियंत्रण में ना हो, साथ ही साथ वह विद्यालय में अनुपस्थित रहता हो तथा जो अपने अकृत्य व्यवहार से दूसरों को चोट पहुंचाता हो वह 'अपचारी बालक' कहलाता है।

कानूनी रूप में, अपराध वयस्क या प्रौढ़ व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं। पकड़े जाने पर अपराधी जेल में रखे जाते हैं तथा सामान्य न्यायालय में पेश किए जाते हैं। परंतु अपचारी बालकों को सुधारगृहों में रखा जाता है तथा उन्हें पृथक न्यायालयों में पेश किया जाता है।

भारत में 'जुवेनाइल जस्टिस एक्ट' की शुरुआत 1960 में हुई थी। इस अधिनियम को 'बाल अधिनियम' के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य दुर्व्यवहार और उपेक्षित बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, कल्याण, शिक्षा, प्रशिक्षण, परिरक्षण और पुनर्वास करना है। भारत में 1986 में 'जुवेनाइल जस्टिस एक्ट' लागू हुआ। जिसके तहत 16 वर्ष तक की आयु के लड़कों और 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियों को अपराध करने पर उन्हें बाल अपराधी माना गया है। बाल अपराध के लिए आयु सीमा अलग–अलग स्थितियों में अलग–अलग निर्धारित की गई है। 'जुवेनाइल' उनको मानते हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो। इस अधिनियम में उपेक्षित बच्चों को बाल गृहों में रखने और बाल अपचारी को बाल न्यायालय के सामने लाने की व्यवस्था की गई है।

भारत में 'भारतीय दंड अधिनियम' के तहत् एक बच्चे को किसी भी अपराध के जुर्म में सजा तब तक नहीं दी जा सकती है, जब तक उस बच्चें की उम्र कम से कम 7 वर्श ना हुई हो। अगस्त 2014 में भाजपा सरकार ने लोकसभा में 'जुवेनाइल जस्टिस बिल' को रखा था और नए संशोधन बिल में उम्र की सीमा को 18 वर्ष से घटा कर 16 वर्ष कर दिया गया है। बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 'जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000' बनाया गया था। इस एक्ट के तहत अगर बच्चों के खिलाफ जयादती या हिंसा होती है, तो जुर्माने के साथ – साथ गंभीर मामलों में उम्र कैद की सजा का भी प्रावधान है। 'किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण अधि ानियम) 2015' की धारा 2(45) के मुताबिक छोटे अपराध है, जिनके लिए भारतीय दंड संहिता 1860 या किसी दूसरे अधिनियम में अधिकतम् 3 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। अगर किसी आरोपी का मुकदमा अदालत के स्थान पर 'जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड' में चलता है, तो आरोपी पाए जाने पर किशोर को अधिकतम 3 वर्ष के लिए किशोर सुरक्षा गृह भेजा जाता है। कानून में परिवर्तन के बाद रैगिंग जैसे अपराध करते हुए पाए जाने पर 16 वर्ष से अधिक वाले आरोपी को 2 वर्ष तक की सजा और रुपये 10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

'जुवेनाइल जस्टिस एक्ट' के अंतर्गत नाबालिक द्वारा किए गये अपराध की सजा तय की जाती है और राज्य के सभी जनपदों में इसके लिए कोर्ट बनाई गई है। नाबालिग अपराधियों को अधि ाकतम सजा तीन वर्ष दी जा सकती है। इस दौरान नाबालिक अपराधियों के सुधार और देखभाल के लिए उन्हें सम्प्रेक्षण गृह में रख सकते हैं। 'जुवेनाइल जस्टिस एक्ट' में नाबालिक के खिलाफ चल रहे मुकदमे की सुनवाई के लिए समय निर्धारित होता है। यदि नाबालिक के खिलाफ मामले का निश्पादन 6 माह के भीतर नहीं होता है, तो पूरी कार्रवाई को समाप्त कर दिया जाता है।

अपराध एवं बाल अपराध दोनों ही प्रवृत्तियां समाज एवं राज्य के नियमों, कानूनों का उल्लंघन करती है। बाल–अपराध पूर्ण अपराध नहीं है। परंतु यदि इसे प्रारंभ से ही नहीं रोका गया तो यह अपराध का रूप ले लेता है। अतः बाल–अपराध, पूर्ण अपराध की एक सीढ़ी है। लेकिन यह

जरूरी नहीं है कि 'अपराधी' पहले 'बाल–अपराधी' रहा हो।

बाल अपराधी एवं अपराधी में आयु का अंतर पाया जाता है। अपचारी बालकों की एक निश्चित आयु सीमा 7 वर्ष से 18 वर्ष के अंतर्गत होती है। जबकि अपराधी युवा या प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं, जिनकी आयु सीमा सामान्यतः 18 वर्ष से ऊपर मानी जाती है।

अधिकांशतः अपचारी बालक ही आगे चलकर अपराधी बनते हैं। परंतु कुछ मनोवैज्ञानिक बाल–अपराध को अपराध की प्रथम सीढ़ी नहीं मानते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी पहले बाल–अपराधी रहा हो।

बाल–अपराधी के व्यवहार में चंचलता पाई जाती है। बाल अपराधी का कोमल तथा अपरिपक्व मस्तिष्क अपराध की गंभीरता को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाता है जबकि अपराधी अपराध के परिणामों से भलीभाँति परिचित होते हैं।

प्रायः अपचारी बालकों को जो दंड दिया जाता है उसका उद्देश्य उनमें सुधार लाना है, जिससे वह अपराधी प्रवृत्तियों से दूर हो सके। इसलिए अपचारी बालकों को सुधार गृह भेजा जाता है। बाल–अपराध एवं पूर्ण अपराध की दंड विधियां भी अलग–अलग होती है। अपराधी को उसके अपराध की प्रकृति के अनुरूप दण्ड दिया जाता है। अपराधी को जो दण्ड दिया जाता है, उनमें प्रतिकार की भावना अधिक होती है।

अपचारी बालक के व्यवहार में सुधार करना सरल एवं संभव होता है। अधिकांशतः बालक भूलवश चंचलता के कारण या बुरी संगति में पड़कर किसी प्रकार का कोई अपराध करते हैं। जिसमें सुधार करना संभव होता है। बालक के कोमल मस्तिष्क को सही दिशा दिखाना सरल होता है। बालक को भी अभिप्रेरित करके, भय दिखाकर अथवा पुरस्कार देकर सुधारने का प्रयास किया जाता है। लेकिन प्रौढ़ अपराधी में सुधार की संभावना बाल अपचारी की तुलना में कम होती हैं।

अपराधी एवं बाल– अपचारी द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति, प्रकार, मात्रा एवं उद्देश्य में भिन्नता होती है। अपराधी प्रायः किसी भी कार्य को सुनियोजित ढंग से, उद्देश्यपूर्ण तरीके से करता है जिसका उद्देश्य लाभ प्राप्त करना अथवा प्रतिशोध की भावना होती है। जबकि बाल– अपचारी अज्ञानता, गलत संगति के कारण अपराध करते हैं।

प्रायः अपचारी बालकों में अपराध के कारणों को जानना – पहचानना सरल होता है, क्योंकि वह पूर्ण अपराधी नहीं होता है, अपितु अप्रत्यक्ष जाने – अनजाने अपराधिक कार्य करता है। परन्तु युवा अपराधी में अपराध के कारणों का पता लगाना अपेक्षाकृत कठिन होता है।

अधिकांशतः बालक ईर्ष्या अथवा अपने साथियों के साथ मिलकर ऐसे कार्य करते हैं, जो अपराध की श्रेणी में आते हैं जैसे– पत्थर फेंकना, किसी को चोट पहुंचाना, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना आदि। जबकि पूर्ण अपराधी सुनिश्चित ढंग से या निर्धारित उददेश्य से अपराध करते हैं।

बालक हमेशा किसी लाभ के लिए अपराध नहीं करते वरन् अज्ञानतावष, ईर्ष्यावश अथवा प्रतिशोध की भावनावश अपराध करते हैं। जैसे– कक्षा के किसी छात्र की पुस्तक चुराकर फाड़ देना अथवा खेल में हार जाने पर प्रतिशोध की भावनावश किसी खिलाड़ी के कपड़े फाड़ देना आदि।

अपचारी बालक का व्यक्तित्व अधिक जटिल नहीं होता है। वह वास्तविक अनुभवों से दूर होता है तथा सत्य के करीब रहता है। जबकि युवा या प्रौढ़ अपराधियों का व्यक्तित्व अधिक जटिल होता है और उनमें अनुभवों का सम्मिश्रण होता है। इससे प्रौढ़ अपराधी प्रायः सत्य से दूर चला जाता है।

सामान्यतः बाल–अपचार व्यक्तिक विघटन का परिचायक होता है, जबकि प्रौढ़ अपराध से संपूर्ण समाज व राज्य को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक हानि उठानी पड़ती है।

बाल अपराध एक बहुआयामी गंभीर राष्ट्रीय समस्या है तथा यह एक मनोभावनात्मक व्यावहारिक विचलन है व बालक की मनोवृत्तियां ही उसे आपराधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। अपचारी बालकों के व्यवहार को एक मानसिक और शारीरिक क्रिया के रूप में देखा जा सकता है तथा अपचारी बालकों को उनकी क्रियाओं, लक्षणों व व्यवहारों द्वारा पहचाना जा सकता है।

व्यक्तित्व के लक्षण –

- अपचारी बालकों की शारीरिक संरचना।
- बहिर्मुखी, अस्थिर, उग्र स्वभाव वाले, विघटनकारी, प्रतिशोध की प्रबल भावनायुक्त एवं मनोविकारयुक्त होते हैं।
- दूरदर्शिता का अभाव, चंचल, अपरिपक्व मस्तिष्क वाले होते हैं।
- निराशावादी, हताश से भरे हुए, विवादग्रस्त तथा आत्मकेंद्रित होते हैं।
- समाज के नियम–कानूनों के विरोधी, कानून का उल्लंघन करने वाले तथा अविश्वासी होते हैं। दूसरों को संदेह की दृष्टि से देखते हैं तथा अपराध करने में अभ्यस्त नहीं होते हैं व अनजाने में अपराध कर बैठते हैं।

व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय परिपेक्ष्य –

- आज्ञाओं को न मानने वाले, उदंडी तथा कानून व समाज के नियमों का उल्लंघन करने वाले होते हैं।
- अनैतिक संगति, आवारा तथा चरित्रहीन व्यक्तियों के संपर्क में रहते हैं। इन्हें भीख मांगते हुए देखा जा सकता है।
- गैर–कानूनी धन्धों तथा तस्करी आदि में भी संलिप्त रहते हैं व इनमें विद्यालय तथा घर से भाग जाने की आदत होती है।
- वर्तमान में जीने वाले तथा भविष्य की चिंता से मुक्त रहते हैं व इन बालकों का व्यवहार नकारात्मक होता है। यह अपने प्रति लापरवाह तथा कठोर स्वभाव वाले होते हैं।

व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक परिपेक्ष्य –

प्रारंभ से ही बाल अपराधियों की पहचान करना कठिन होता है। इन बालकों को उनके कृत्यों के आध ाार पर पहचाना जा सकता है, क्योंकि कक्षा के सामान्य बालकों में से इन्हें अलग कर पाना कठिन होता है।

- बौद्धिक रूप से निर्बल, झगड़ालू, निडर, हठी, संकित रहने वाले होते हैं।
- अस्थिर मन वाले, प्रेम व अनुराग की कमी तथा विद्यालय के प्रति अरुचि रखने वाले होते हैं।
- शैक्षिक तथा व्यावसायिक योजनाओं के प्रति अनिष्चित रहते हैं तथा इनमें संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है।
- ये दुर्व्यवहार करने वाले, मानसिक रोगी तथा मनोस्नायु विकृति से युक्त होते हैं।
- मनोविकारी व्यक्तित्व युक्त, तीव्र कामना वालें व हीन भावना से युक्त होते हैं।

अपचारी बालक बहिर्मुखी, उग्र, विघटनकारी, अस्थिर उदंडी, मनोविकारयुक्त, निराशावादी, हताश से भरे, विशादग्रस्त, आत्मकेंद्रित, कानून विरोधी व कानून का उल्लंघन करने वाले, अनैतिक, असामाजिक, भगोड़े, चिंतारहित, उग्र स्वभाव वाले, विध्वंसक, विद्यालय के प्रति अरूचि रखने वाले, व्यसनयुकत होते हैं तथा एक समान्य बालक के व्यक्तित्व से भिन्न गुणों या लक्षणों को व्यक्तित्व में ध ारण किए होते हैं। इस प्रकार व्यक्तित्व के गुणों के आधार पर अपचारी बालकों में भिन्नता पाई जाती है। बाल–अपराध पूर्ण अपराध नहीं है। यह समस्या बालकों में 7 से 18 वर्ष के बीच ही उत्पन्न हो सकती है। अतः इस समस्या को सही दिशा देकर अपचारी बालकों में सुधार व उपचार प्रदान किया जाना चाहिए ताकि ऐसे बालकों का अपराध पूर्ण अपराध में न परिवर्तित हो जाए। सुधारात्मक परिवर्तन हेतु अपचारी बालकों को सुधारगृहों में रखा जाता है। जहां उन्हें प्रेरित कर, भय दिखाकर या पुरस्कार प्रदान कर सुधारने का प्रयास किया जाता है। अपचारी बालक कोई भी कार्य सुनिश्चित उद्देश्यपूर्ण ढंग से तथा लाभ प्राप्त करने हेतु करते हैं।

अपराधिक क्रियाएं – अपचारी बालक विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में संलिप्त रहते हैं तथा इन बालकों की अपराधिक क्रियाएं विभिन्न प्रकार की होती है। यह क्रियाएँ शारीरिक तथा बौद्धिक भी हो सकती हैं। अपचारी बालक किसी भी कार्य को करने के लिए उसकी एक संक्षिप्त रूपरेखा मस्तिष्क में तैयार कर लेते हैं। फिर उसको व्यवहार में उतारकर व्यावहारिक क्रिया का रूप देते हैं तथा यह एक 'मनोभावनात्मक विचलन' है।

अपचारी बालकों की अपराधिक क्रियाओं तथा व्यवहार को वर्गीकृत कर पाना सरल नहीं है क्योंकि अपचारी बालक की आयु, समय, स्थान, राज्य के विधिक नियम, सामाजिक मूल्य, नैतिक तथा धार्मिक आचरण आदि भी वातावरण के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। भारतीय संविधान के परिपेक्ष्य में बाल–अपराध में वे सभी व्यवहार सम्मिलित होते हैं, जिनके अंतर्गत सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का उल्लंघन होता है तथा राष्ट्रीय बल अधिनियम 1924, 1948, 1960 तथा 1978 का उल्लंघन होता हो।

हॉपकिंस – बाल–अपराध की प्रकृति के अनुसार बाल–अपचारी क्रियाओं को चार भागों में विभाजित किया गया है–

1. मनोवैज्ञानिक अपराध से संबंधित क्रियाएं – जैसे संवेग, वयामोह, बलात्कार एवं व्यभिचारिक क्रियाएं आदि।

2. आर्थिक अपराध से संबंधित क्रियाएं – जैसे तोड़फोड़, चोरी करना, ठगी करना, आगजनी और हड़ताल आदि।

3. राष्ट्र से संबंधित क्रियाएं – जैसे राज्यद्रोह करना, देश की सुरक्षा तथा स्वतंत्रता के लिए शड़यंत्र रचना, समाज में अस्थिरता पैदा करना आदि।

4. नागरिक अपराध से संबंधित क्रियाएं – जैसे नशाखोरी, वेश्यावृत्ति आदि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं।

सामान्य अपराधिक क्रियाएं 6 प्रकार की होती हैं –

1. अर्जित करने से समबन्धित क्रियाएं – अपचारी बालक प्रायः तात्कालिक लक्ष्य को प्राप्त करने में संतोष एवं सुख प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के कार्यों में चोरी करने की प्रवृत्ति सबसे प्रमुख है। जिसकी शुरुआत बच्चा घर से करता है और यदि घरवालों को इसकी जानकारी नहीं हो पाती है, तो वह अन्य परिस्थितियों जैसे – पड़ोस, विद्यालय और समाज में भी इसी प्रकार का कार्य करता है। अपचारी बालक चोरी करने के लिए रुमाल, पेन, अंगूठी आदि वस्तुओं की चोरी करते हैं और ईष्या, घृणा और

क्रोध के फलस्वरुप इस कार्य में संलिप्त हो जाते हैं। अपचारी बालक प्रायः किशोरावस्था में अपने समूह के बालकों के साथ मिलकर चोरी करते हैं।

2. धोखाधड़ी से संबंधित क्रियाएं – धोखाधड़ी करना भी अपराधिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। किशोर अपचारी बालक विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी करते हैं। उदाहरणार्थ अपने माता–पिता के जाली हस्ताक्षर करके बैंकों से पैसा निकालना, लोगों को बहला– फुसलाकर पैसा ऐंठना, सफर में दूसरों का सामान चोरी कर लेना, कक्षा में किसी की अनुपस्थिति में उसके स्थान पर बोलना आदि क्रियाएं धोखाधड़ी के अंतर्गत आती हैं।

3. उग्र व्यवहार से संबंधित क्रियाएं – किशोरावस्था में अपचारी बालकों का व्यवहार उग्र हो जाता है। उसके इस व्यवहार की अभिव्यक्ति सजीव या निर्जीव, व्यक्तियों या वस्तुओं, किसी के भी विरोध में हो सकती है। उदाहरणार्थ मानसिक क्रूरता अथवा शारीरिक कष्ट देना आदि।

4. यौन अपराध से संबंधित क्रियाएं – किशोरावस्था में यौन अपराध की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। किशोर अधिकांशतः विभिन्न प्रकार के यौन अपराधों में संलिप्त रहते हैं। उदाहरणार्थ अश्लीलता, छेड़छाड़, अश्लील सहित्य पढ़ना, दीवारों पर गंदे चित्र बनाना, अशलील बातें लिखना आदि।

5. भगोड़ेपन से संबंधित क्रियाएं – अपचारी बालक जब परिस्थितियों का सामना करने में सफल नहीं हो पाते हैं, तो उनमें भागने की आदत पड़ जाती है तथा ऐसे बालक घर व विद्यालय से भाग जाते हैं।

6. चुनौतीपूर्ण अभिव्यक्ति से संबंधित क्रियाएं – अपचारी बालक ऐसे कार्य में संलिप्त होते हैं जो दूसरों के सामने चुनौती एवं समस्या उत्पन्न कर देते हैं। उदाहरणार्थ जेब काटना, पीड़ा देना, झूठी शेखी मारना, धूमपान करना, तस्करी करना, तोड़फोड़ करना आदि।

हैडफील्ड ने अपचारी बालकों की क्रियाओं को पांच श्रेणियों में विभक्त किया है –

1. कोमल कदाचार से संबंधित क्रियाएं – अवकाश के उपरांत विद्यालय खुलने पर विद्यालय न जाना।

2. स्वाभाविक कदाचार से संबंधित क्रियाएं – भूख लगने पर खाने–पीने की वस्तुओं की चोरी करना तथा अतिसंवेदनशीलता के कारण या भावना ग्रंथियों के वशीभूत होकर अपशब्दों का प्रयोग करना तथा मारपीट करना।

3. साधारण कदाचार से संबंधित क्रियाएं – अपचारी बालकों द्वारा किए गए वे असामाजिक कार्य, जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। उदाहरणार्थ विद्यालय का फर्नीचर तोड़ना, दूसरों का अपमान करना, किसी व्यक्ति के समान को छीन लेना आदि।

4. मनोस्नायविक सदाचार संबंधित क्रियाएं – अपचारी बालक, अपराधी व्यवहार के द्वारा अपनी अंतर्निहित इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। उदाहरणार्थ पुस्तकों के अभाव में पुस्तकें चुराना, पुस्तकालय की पुस्तकों के पन्ने फाड़ देना, किसी व्यक्ति से उपेक्षित होने पर उसका नुकसान करना आदि।

5.प्रतिक्रियात्मक कदाचार से संबंधित क्रियाएं – अपचारी बालकों की वह क्रियाएं जो प्रतिशोध के लिए की जाती है। उदाहरणार्थ मारपीट के प्रति उत्तर में मारपीट करना अथवा नुकसान पहुंचाने वाले के साथ वैसा ही व्यवहार करना।

इस प्रकार, अपराधिक क्रियाओं को प्रमुख रूप से दो वर्गों में विभाजित किया गया है–

1. चुनौती देने से संबंधित क्रियाएं – चोरी करना, धूम्रपान करना, झूठ बोलना, उद्देष्यहीन घूमना, लड़ना झगड़ना, पलायनशीलता, स्कूल की वस्तुएं नष्ट करना, पीड़ा देना, शेखी बघारना, दीवार पर लिखना आदि।

2. यौन अपराध से संबंधित क्रियाएं – इच्छा रखने वाले सामान आयु के सदस्य के साथ किया गया

यौन अपराध, इच्छा न रखने वाले सामान आयु के सदस्य के साथ किया गया यौन अपराध, समलिंगी अपराध, निर्लज्ज प्रदर्शन आदि यौन अपराध से संबंधित क्रियाएं हैं।

बाल अपचार – अपचारी बालक में समाज विरोधी प्रवृत्तियाँ इतनी गंभीर हो जाती है कि शासन को उन्हें कानूनी रूप से दंड देना पड़ता है। जब बालक का व्यवहार सामान्य से भिन्न हो अर्थात् असमान्य हो, तो उसे अपचारी बालक कहते हैं। वह बालक जो अपने माता–पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तथा वह उनके नियंत्रण से बाहर होते हैं, तो वे अपचारी प्रवृत्तियों के अनुसार अपराधी क्रियाओं में संलिप्त हो जाते हैं। ये निरंतर विद्यालय एवं घर से भाग जाते हैं, तथा समाज– विरोधी व्यवहार करते हैं, जिसे 'बाल–अपचार' कहते हैं।

निष्कर्ष – अतः उपयुक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अपचारी बालक के व्यक्तित्व एवं अपराधिक क्रियाओं को विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है। अपचारी बालकों के व्यक्तित्व पर अपराधिक क्रियाओं का प्रभाव कहीं ना कहीं उनकी प्रवृत्तियों को भी आपराधिक बना देता है। जिसके लिए समाज व कानून दोनों का दायित्व है कि राश्ट्र के विकास के लिए ऐसे किशोर, बालकों की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा प्राप्त हो सके व उनके व्यवहारों व क्रियाओं में स्थायी वांछित सकारात्मक परिवर्तन संभव हो सके। अपचारी बालकों के व्यक्तित्व, में व्यावहारिक क्रियाएं भी विभिन्न प्रकार भी होती है, जो उनके व्यक्तित्व को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। वर्तमान में बाल अपराध में निरंतर वृद्धि हो रही है। ऐसा माना जाता है कि बाल– अपराध, अपराध का प्रवेश द्वार है अर्थात् अपराध का द्वार खोलता है। इसकी वजह से वर्तमान समय में बाल अपराध की समस्या को विषेश ध्यान दिया जा रहा है। अतः बाल अपचारी को उनके व्यक्तित्व एवं उनकी अपराधिक क्रियाओं के आधार पर समय पर पहचान कर उनकी समस्याओं का निवारण करना चाहिए। जिससे उनमे अपराधिक प्रवृत्ति को रोका जा सके। साथ ही साथ उनका समाज में समावेशन करके उनके भविष्य को सकारात्मक दिशा की ओर मोड़ा जा सके जिससे वह राष्ट्र में अपनी संपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित कर सके व देश के सजग नागरिक के रूप में अपनी पहचान बना सके।

संदर्भ

1. रफत, जकिया.(2018). बाल अपराधीरू एक समाजशास्त्रीय अधययन. शोध मंथन, 97–102
2. चौधरी, ललित मोहन.(2023). भारत में बाल–अपराध के कारण एवं रोकथाम के उपाय. इणटरनेशनल रिसर्च जनरल ऑफ एजूकेशन एंड टेक्नोलॉजी, 05(05),14–21
3. अहमद, जकील.(2019). बाल अपराध से बिगड़ता बचपन भटकता राष्ट्र. इंटरनेशनल जनरल ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंसेज, 09(05),1205–1210
4. शर्मा, मशि प्रभा.(2016), अपचारी बालक अवधारणा, निवारण एवं सुधार, कनिष्क पब्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली
5. सिंह, अरुण कुमार (2023), आधुनिक असामान्य मनोविज्ञान, मोतीलाल बनारसी दास प्रकाशन
6. एच. के. कपिल.(1997), आधुनिक नैदानिक मनोविज्ञान, हर प्रसाद भार्गव 4/230 कचहरी घाट, आगरा
7. Mallets A. Christopher (2018), Juvenile Delinquency: Exploring Pathways, Prevention and Intervention, Miyuki Fukushima Tender: I Edition
8. Sarasan, G. Irwin. (2017), Abnormal Psychology: The Problem of Maladaptive Behavior, II Edition, Person Education, Eleventh Edition.